the amounts due from them. Further appropriate action would be taken under due process of law.

(f) The provisions relating to recovery of amount are contained in paras 7, 17 and 29 of Drugs Prices Control Order, 1979.

अन्तर्राष्ट्रीय दर पर डीजल की आपूर्ति

627. **श्री राम नरेश यादव :** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए निर्यातक औद्योगिक इकाइयों को कैप्टिव पावर उत्पादन के लिए अन्तर्राष्ट्रीय दर पर डीजल देने की एक योजना बनायी है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार कृषि उत्पादकों को प्रोत्साहन देने के लिए कृषि उत्पादन में सहायक उपकरणों को चलाने के लिए कृषकों को अन्तर्राष्ट्रीय दर पर डीजल देने के लिए कोई योजना बना रही है; और

(ग) यदि हां, तो उस योजना का ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) ऐसी जो उत्पादन यूनिटें प्रतियोगी निर्यात उत्पादन करने के लिए अपने उत्पादन का कम से कम 25 प्रतिशत भाग निर्यात करती हैं उनके कैप्टिव पावर जनरेशन के लिए अन्तराष्ट्रीय दर की तुलना में विशेष दर पर डीजल की सप्लाई करने की सरकार ने एक योजना बनाई है ।

(ख) और (ग) जी, नहीं । उक्त भाग (क) के उत्तर मे संदर्भित योजना में जिन तथ्यों पर विचार किया गया है वे कृषि उत्पादनों से संबंधित नहीं हैं ।

Price control on Category II drugs

628. DR. (SHRIMATI) NAJMA HEPTULLA: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Kelkar Committee recommended that medicines based on combinations with Category II drugs will be under price contol;

(b) whether it is also a fact that his Ministry issued guidelines to the effect that only those formulations will be under price control where scheduled bulk drug forms the major therapeutic ingredient;

(c) whether it is also a fact that according to Price Control Order all combinations of Category II drugs are under price control;

(d) whether it is a fact that guidelines are inconsistent with the recommendations of Kelkar Committee and Price Control Order;

(e) what are the reasons and basis for issuance of such guidelines which are pro-producers and anti-consumers;

(f) whether it is also a fact that his Ministry did not accept a number of recommendations on categorisation of drugs; and

(g) if so, what are the details thereof?

THE MINISTER OF INDUSTRY (SHRI J. VENGAL RAO): (a) Yes, Sir.

(b) to (g) The guidelines were only to clarify the provisions of the DPCO They are not incorsistent with the DPCO nor are they anti-consumer. The Ministry accepted almost all the recommendations of Kelkar Committee on categorisation of drugs.